वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

स. 5-1(61)/2009-PD

दिनांक: 01.06.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: "सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2008" में संशोधन-के सबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासी निकाय, सीएसआईआर ने 25.02.2026 को आयोजित अपनी 212वीं बैठक में "सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2008" के नियम 7 तथा नियम 10 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि निम्नानुसार हैं -

नियम	मौजूदा नियम	संशोधित नियम
7 (ii)	चयन समिति में निम्नलिखित पाँच सदस्य होंगे: क. अध्यक्ष के रूप में सीएसआईआर, आरएबी के अध्यक्ष ख. प्रासंगिक क्षेत्रों के तीन उत्कृष्ट वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद, जिनमें से कम से कम एक सीएसआईआर से बाहर का होगा; और ग. महानिदेशक, सीएसआईआर एवं सचिव, डीएसआईआर	छानबीन सह चयन समिति में समिति के अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे: क. महानिदेशक, सीएसआईआर पदेन अध्यक्ष ख. प्रासंगिक क्षेत्र के तीन उत्कृष्ट वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद/विशेषज्ञ, जिनमें से कम से कम दो सीएसआईआर/डीएसआईआर से बाहर का होगा; और ग. वैज्ञानिक विभागों के सचिवों में से एक सचिव नोट: यदि इस पद के लिए विचार किए जा रहे उम्मीदवार भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव हैं, तो ऐसे मामले में, इस नियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, छानबीन-सह-चयन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव अथवा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) अथवा सदस्य, नीति आयोग द्वारा की जाएगी; और महानिदेशक, सीएसआईआर सह-अध्यक्ष होंगे।

01/06/26

नियम	मौजूदा नियम	संशोधित नियम
10	अवधि में विस्तार किया जाना: उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा गठित की जाने वाली मूल्यांकन समिति द्वारा इस अवधि में विस्तार दिए जाने पर विचार किया जाएगा जिसमे अध्यक्ष की हैसियत से सीएसआईआर के महानिदेशक, अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी), तथा प्रासंगिक क्षेत्र के तीन उत्कृष्ट वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद/विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समिति की सिफारिशें उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा स्वीकार की जाएगी। समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने विषयक किसी प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष, सीएसआईआर का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।	अवधि में विस्तार किया जाना: उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा नियम 7(ii) के तहत गठित समिति के समान संरचना वाली समिति द्वारा इस अवधि में विस्तार दिए जाने पर विचार किया जाएगा। इस समिति की सिफारिशें उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा स्वीकार की जाएगी। समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने विषयक किसी प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष, सीएसआईआर का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

2. इसे सूचना मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है।

01/06/26

(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव(नीति)

सेवा में:

उप सचिव (निदेशक भर्ती प्रकोष्ठ)

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय महानिदेशक, सीएसआईआर
2. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / मुख्यालयों /इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
3. कार्यालय संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर
4. कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर
5. कार्यालय मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
6. कार्यालय विधि सलाहकार, सीएसआईआर
7. सीएसआईआर वेबसाइट
8. कार्यालय प्रति